

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-300/2026 दिनांक-27.10.2026)
***दिनांक-27.10.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना सेवरहीं एवं स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा 10,000 रुपये का इनामी तथा हत्या के प्रयास का वांछित शातिर अभियुक्त को अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जयंत यादव के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना सेवरहीं तथा स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 10,000 रुपये के इनामी तथा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित शातिर अभियुक्त आदर्श सिंह उर्फ बन्टी पुत्र प्रभुनाथ सिंह, निवासी जंगली पट्टी, थाना सेवरहीं, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल (.32 बोर), दो जिंदा कारतूस (.32 बोर), एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन तथा जामातलाशी से 41,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना सेवरहीं पर शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.10.2026 को रात्रि करीब 10:30 बजे तमकुहीरोड रेलवे स्टेशन पर अभियुक्त आदर्श सिंह ने अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से राजन शर्मा पुत्र विनोद शर्मा (निवासी घघवा जगदीश, थाना तरयासुजान) को पिस्टल से गोली मार दी थी। इस संबंध में थाना जीआरपी गोरखपुर पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 109(1), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 351(3), 352, 61(2) BNS पंजीकृत था तथा अभियुक्त पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 289/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सेवरहीं



गिरफ्तार अभियुक्त-

आदर्श सिंह उर्फ बन्टी पुत्र प्रभुनाथ सिंह निवासी जंगली पट्टी थाना
सेवरही जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद अवैध पिस्टल (.32 बोर)
2. दो अदद जिंदा कारतूस (.32 बोर)
3. 41,000 रुपये नकद (जामातलाशी से)
4. एक अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन

अभि० आदर्श सिंह का अपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 55/2021 धारा 395, 397, 412 भादवि थाना
बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. मु०अ०सं० 11/2022 धारा 174ए भादवि थाना बरवापट्टी
जनपद कुशीनगर
3. मु०अ०सं० 62/2022 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना बरवापट्टी
जनपद कुशीनगर
4. मु०अ०सं० 161/2021 धारा 392, 411 भादवि थाना विशुनपुरा
जनपद कुशीनगर
5. मु०अ०सं० 444/2022 धारा 3/5A/5B/8 गो०नि० अधि० व
11 पशु क्रूरता अधि० थाना पटहेरवा कुशीनगर
6. मु०अ०सं० 129/2020 धारा 379 भादवि थाना सेवरही
जनपद कुशीनगर
7. मु०अ०सं० 227/2020 धारा 379, 411, 419, 420, 467,
468, 179(1) भादवि थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
8. मु०अ०सं० 525/2021 धारा 323, 504, 324 भादवि थाना
तरया सुजान जनपद कुशीनगर
9. मु०अ०सं० 71/2024 धारा 147, 323, 504, 506, 325
भादवि थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
10. मु०अ०सं० 327/2026 धारा 191(2), 351(3), 352 भादवि
थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
11. मु०अ०सं० 167/2026 धारा 109(1), 191(2), 191(3),
190, 115(2), 351(3), 352, 61(2) बीएनएस थाना जीआरपी



बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 2- उ0नि0 दीपक सिंह स्वाट प्रभारी मय टीम जनपद कुशीनगर
- 3- उ0नि0 अनिल कुमार शर्मा चौकी प्रभारी कस्बा सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर मय टीम
- 4- उ0नि0 रुपेन्द्र पाल चौकी प्रभारी पिपराघाट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर मय टीम
- 5- उ0नि0 रविकान्त सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर मय टीम

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा चोरी के घटना का अनावरण करते हुए एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.10.2026 को थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2026 धारा305, 331(4), 317(2) बीएनएस ,से संबंधित चोरी के घटना का अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, उसके कब्जे से चोरी किए गये रिफाइन आदि के बेचने से प्राप्त 13000 रुपये बरामद किया गया है, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 212/2026 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS,
थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण

नगद 13000 रुपये (13 टिन रिफाइन आदि बेचने से प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

अवनीश उर्फ गोलू राय पुत्र ओमप्रकाश निवासी कोहरवालिया थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र०नि० हर्षवर्धन सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० मनोज कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
3. हे०का० दिनेश कुमार गौतम थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
4. का० नन्दकिशोर सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा क्षेत्रान्तर्गत हत्या आदि के मामले में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार तथा एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जयन्त यादव के नेतृत्व में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 295/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 103(1), 3(5) बीएनएस से संबंधित दो वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा (आलाकत्ल) भी बरामद कर लिया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 295/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 103(1), 3(5) बीएनएस थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी के चचिया ससुर (नबी) और चचिया सास (तजरुन) अपनी बहू के मायके (ग्राम अशोगवा बुजुर्ग, टोला रुनिहवा, थाना पटहेरवा) अपनी नतनी को लेने गए थे। वहां अभियुक्तों ने नतनी को भेजने से मना करते हुए गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

इसकी सूचना पाकर जब वादिनी के पति (इब्राहिम), भसुर (हैदर) और चचेरे ससुर (शाकिर) वहां पहुंचे, तो अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से उन पर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर दिया। इस

मारपीट में वादिनी के पति इब्राहिम को गंभीर चोटें आईं, जिसके पश्चात मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. इस्लाम मंसूरी पुत्र स्व० मोहम्मदीन मंसूरी, निवासी ग्राम अशोगवा बुजुर्ग, टोला रुनिहवा, थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर
2. आफताब मंसूरी उर्फ सोनू पुत्र इस्लाम मंसूरी, निवासी ग्राम अशोगवा बुजुर्ग, टोला रुनिहवा, थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर
3. एक नफर बाल अपचारी ।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त डंडा(आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम:-

- 1.थानाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० राजेन्द्र सिंह यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर मय टीम
3. उ०नि० प्रियांशु राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर मय टीम
4. उ०नि० विशाल कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर मय टीम
5. का० नंदकिशोर शर्मा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
6. म०का० अर्चना भारती थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया व थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा कुल 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों एवं वारण्टीगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.10.2026 को जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से संबंधित वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

1. थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी:-

- 1.चन्द्रसेन पुत्र बच्चन निवासी सरगटिया, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर



2. अमरसेन पुत्र बच्चन निवासी सरगटिया, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर

2. थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी:-

1. बृजमोहन उर्फ जयसिंह पुत्र रामपाल निवासी मोरवन उर्फ गोपाला, थाना अहिरौली बाजार, जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 70 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में-

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 26 वाहन
2. 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही- मु0- 86, व्यक्ति-228
3. वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी- (कुल-78)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

